भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2228
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

कुपोषण

2228. श्री सैयद इम्तियाज़ जलील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान देश में कम वजन वाले, कुपोषित/गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक दर्ज किए गए कम वजन वाले, कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार देश में कुपोषण को रोकने के लिए पोषण अभियान और पोषण-2.0 को सहायता दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) उक्त योजनाओं की शुरुआत से अब तक इनके तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार आवंटित और उपयोग की गई निधि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस अभियान में पूरक पोषण कार्यक्रम को शामिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड़) जी, नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (एनएचएफएस) में कुपोषण के संकेतकों जैसे अल्प वजन, ठिगनेपन और वेस्टिंग में लगातार सुधार प्रदर्शित हुआ है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है, जबकि वेस्टिंग 21.0% से घटकर 19.3% हो गई है और अल्पवजन की व्याप्तता 35.8% से घटकर 32.1% हो गई है।

नवंबर 2023 के लिए पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 7.44 करोड़ बच्चों को मापा गया था, जिनमें से 37.51% ठिगने पाए गए और 17.43% अल्प वजन के पाए गए और 5 वर्ष

से कम आयु के 6% बच्चे वेस्टिंग से ग्रस्त पाए गए। एनएफएचएस 5 द्वारा अनुमानित की तुलना में अल्प वजन और वेस्टिंग का स्तर बहुत कम है।

सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों (14 - 18 वर्ष) के लिए पोषण संबंधी सहायता के घटकों; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष]; उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना सहित आधुनिक आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 ठिगनेपन और एनीमिया के अलावा वेस्टिंग और अल्प वजन की व्याप्तता को कम करने के लिए मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित करता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, अनुशंसित आहार सेवन की तुलना में ग्राह्य सेवन में अंतर को कम करने के लिए देश भर में स्थित 13.97 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। महिलाओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पका हुआ भोजन और टेक होम राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मोटे अनाज के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश की मानव पूंजी विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान;
- स्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खाद्य आदतों को बढ़ावा देना; और
- प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में पोषण गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार करने, वितरण को मजबूत करने और शासन में सुधार के लिए पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुपोषण और संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। पोषण पद्धतियों में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता के अंतर को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए मिशन पोषण 2.0 के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

"कुपोषित और अल्प वजन वाले बच्चों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों" के संबंध में श्री सैयद इम्तियाज़ जलील, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 15.12.2023 पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2228 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए मिशन पोषण 2.0 के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्षवार विवरण

(रुपए लाख में)

#	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान और निकोबार	1625.46	1971.15	431.68
2	आंध्र प्रदेश	70182.09	74460.38	79210.34
3	अरुणाचल प्रदेश	8229.7	17082.84	12934.21
4	असम	110282.34	131989.88	161876.99
5	बिहार	128898	157443.07	167871.47
6	चंडीगढ़	1334.73	1532.18	3309.9
7	छतीसगढ	51394.84	60673.15	58909.3
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	901.56	933.39	579.95
9	दिल्ली	10270.15	13310.7	18277
10	गोवा	2044.28	1083.56	1452.6
11	गुजरात	62303.83	83985.65	90097.17
12	हरियाणा	18529.06	17303.35	19521.36
13	हिमाचल प्रदेश	25552.07	24798.74	26051.03
14	जम्मू और कश्मीर	29417.3	40573.74	47746.57
15	झारखंड	45817.77	35297.77	35733.95
16	कर्नाटक	69716.64	100370.19	75118.35
17	केरल	34672.82	38822.74	44213.5
18	लद्दाख	2458.97	1469.55	1878.52
19	लक्षद्वीप	304.44	210.52	44.18
20	मध्य प्रदेश	123805.5	108546.91	98501.92

#	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23
21	महाराष्ट्र	120599.45	171338.93	163377.2
22	मणिपुर	17576.72	22892.04	11962.31
23	मेघालय	17791.51	17332.82	19170.27
24	मिजोरम	7395.12	5931.57	4216.61
25	नागालैंड	16659.21	15980.27	19633.32
26	ओडिशा	84681.95	106598.46	87506.99
27	पुदुचेरी	438.08	277.8	0.75
28	पंजाब	17033.71	38351.68	7473.96
29	राजस्थान	63184.55	68264.63	95301.83
30	सिक्किम	2450.44	2573.06	1968.56
31	तमिलनाडु	61072.42	65538.13	74844.97
32	तेलंगाना	40531.92	48232.68	51474
33	त्रिपुरा	15415.55	18672.47	14746.76
34	उत्तर प्रदेश	201749.31	240755.08	268122.42
35	उत्तराखंड	32791.63	35365.25	34877.55
36	पश्चिम बंगाल	106548.66	66835.22	120031.77
	कुल	**1603661.78**	**1836799.55**	**1918469.26**

******